[2021] 10 S.C.R. 607

सितम्बर 21, 2021

राजेंद्र बाजोरिया और अन्य ... अपीलकर्ता (ओं) बनाम हेमंत कुमार जालान और अन्य ... प्रतिवादी (ओं)

[एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना, बीआर गवई, जे. जे. जे.]

सिविल अपील नं. 2021 का 5819-5822
[2019 की एसएलपी (सी) संख्या 27792782 से उत्पन्न]

1. अनुमति स्वीकृत.

2. ये अपीलें 14 सितंबर 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देती हैं, जिससे अपीलों को एपीओ नंबर की अनुमति दी जाती है। 22 सितंबर 2017 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों द्वारा दायर 2017 की धारा 491 और 520। 22 सितंबर 2017 के उक्त आदेश के तहत, एकल न्यायाधीश ने जीए संख्या 1688 और 1571 को खारिज कर दिया था । 2017 मूल प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी, वैकल्पिक रूप से वादपत्र की अस्वीकृति के साथ-साथ 2017 के सीएस नंबर 79 के तत्काल मुकदमे में लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत दी गई अनुमति को रद्द करने की मांग की गई थी।

3. 6 दिसंबर 1943 के साझेदारी विलेख के तहत 'सूरजमुल नागरमुल' (इसके बाद 'साझेदारी फर्म' के रूप में संदर्भित) नामक एक साझेदारी फर्म का गठन किया गया था। बैजनाथ जालान, मोहनलाल जालान, बाबूलाल जालान, सेवभगवान जालान, केशवदेव जालान, नंदकिशोर जालान, देवकीनंदन जालान, चिरंजीलाल बाजोरिया और किशोरीलाल जालान साझेदारी फर्म में भागीदार थे। इसमें कोई विवाद नहीं है कि कोई भी भागीदार जीवित नहीं है। वादी संख्या 1, 2 और 3 स्वर्गीय चिरंजीलाल बाजोरिया के पुत्र हैं, जिनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1981 को हुई थी। वादी संख्या 4 और 5 स्वर्गीय देवकीनंदन जालान के पुत्र हैं, जिनकी मृत्यु 12 जुलाई 1997 को हुई

थी। वादी संख्या 6 स्वर्गीय मोहनलाल जालान के पुत्र है जिनकी मृत्यु 1 मई 1982 को हुई। प्रतिवादी साझेदारी फर्म में अन्य मूल भागीदारों के कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
4. वादी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 के सीएस नंबर 79 के तहत एक सिविल मुकदमा दायर किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई:

"(ए) घोषणा के लिए डिक्री कि वादी और प्रतिवादी हकदार हैं दिनांक 6 दिसंबर, 1943 के साझेदारी विलेख के तहत पुनर्गठित फर्म के मूल भागीदारों के उत्तराधिकारी के रूप में फर्म "सूरजमुल नागरमुल" की संपत्ति और संपत्तियां, उपरोक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित उक्त मूल भागीदारों के हिस्से में;

(बी) इस घोषणा के लिए डिक्री कि वादी और प्रतिवादी परिणामस्वरूप बिहार राज्य के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उसकी भागलपुर भूमि के अधिग्रहण के लिए सभी कार्यवाहियों में फर्म का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं;

(सी) प्रतिवादी संख्या 1 या किसी भी अन्य प्रतिवादी को किसी भी तरीके से फर्म या उसके सभी प्राधिकरण, धन संपत्ति और संपत्तियों के भंडार का प्रतिनिधित्व करने या खुद को अधिकृत प्रतिनिधि होने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश फर्म की भागलपुर भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही या फर्म की ओर से किसी भी धन को प्राप्त करने सहित उसकी किसी भी संपत्ति और संपत्ति के संबंध में उसके व्यवहार और लेनदेन में फर्म का प्रतिनिधित्व करना, चाहे वह उसकी भागलपुर भूमि के मुआवजे के कारण हो या अन्यथा । ;

(डी) अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को फर्म की सभी संपत्तियों और संपत्तियों का पूरा विवरण, फर्म की किसी भी संपत्ति या संपत्ति से संबंधित किसी भी सौदे या लेनदेन सहित इसके सभी व्यवहार और लेनदेन का पूरा विवरण, और पूर्ण विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। इसके विघटन के प्रयोजन के लिए फर्म के खाते;

(ई) फर्म सूरजमुल नागरमुल के विघटन और फर्म की संपत्तियों और संपत्तियों का एहसास होने पर इसके मामलों को बंद करने, फर्म के कारण सभी धन एकत्र करने, फर्म के ऋणों का भुगतान करने में इसे लागू करने का आदेश, यदि किसी भी भागीदार द्वारा योगदान की गई पूंजी का भुगतान करने में और उसके बाद शेयरों में मूल भागीदारों के उत्तराधिकारियों के बीच अवशेषों को

विभाजित करके, जिसके लिए वे 6 दिसंबर, 1943 के पार्टनरशिप डीड के संदर्भ में फर्म के मुनाफे के हकदार थे।"

5. उक्त मुकदमे में, प्रतिवादियों ने 2017 के जीए नंबर 1688 और 1571 के रूप में दो आवेदन दायर किए, अन्य बातों के साथ-साथ मुकदमे को खारिज करने की मांग की, या वैकल्पिक रूप से, इस आधार पर वादपत्र को खारिज कर दिया कि वादपत्र किसी भी बात का खुलासा नहीं करता है। कार्रवाई का कारण, और वादपत्र में दावा किया गया राहत प्रदान नहीं की जा सकी। प्रतिवादियों की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि मुकदमा सीमा अवधि से परे दायर किया गया था, और इस प्रकार, उक्त आधार पर खारिज करने योग्य भी था। एकल न्यायाधीश ने 22 सितंबर 2017 के फैसले और आदेश के तहत उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया। जहां तक परिसीमा के संबंध में आधार का सवाल है, एकल न्यायाधीश ने पाया कि परिसीमा का मुद्दा तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न था और उस आधार पर प्रतिवादियों की प्रार्थना पर विचार नहीं किया। इससे व्यथित होकर, मूल प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष 2017 की एपीओ संख्या 491 और 520 के तहत अपील दायर की। 14 सितंबर 2018 के आक्षेपित फैसले और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि राहत, जैसा कि वादपत्र में दावा किया गया है, नहीं दी जा सकती है, और इसलिए, अपील की अनुमति देते हुए, सीएस संख्या 79 द्वारा वादपत्र को खारिज कर दिया। हालाँकि, यह देखा गया कि, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "सीपीसी" के रूप में संदर्भित) के आदेश VII नियम 13 के तहत वादी की अस्वीकृति का आदेश अपने स्वयं के बल से वादी को नया वाद प्रस्तुत करने को नहीं रोकेगा। कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में एक नया वाद प्रस्तुत किया। इससे व्यथित होकर वर्तमान ने अपील की है।

6. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. एएम सिंघवी और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केवी विश्वनाथन और श्री गोपाल शंकरनारायणन को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 7 से 9, 11, 12 और 16 से 21 की ओर से सुना है।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन ने प्रस्तुत किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपील की अनुमति देने और कलकत्ता के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित तर्कसंगत निर्णय और आदेश को उलटने में घोर गलती की है। श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश, वादपत्र में दिए गए कथनों को पढ़ने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वादपत्र कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है, और इस तरह, सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि खंडपीठ ने अपने फैसले और आदेश में यह पता लगाने के लिए लगभग एक मिनीट्रायल आयोजित किया है कि क्या वादपत्र में दावा किया गया राहत दी जा सकती है या नहीं। उन्होंने कहा कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय इस तरह की कवायद की अनुमति नहीं है । दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली (गजरा) डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स1 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अदालत को दी गई शक्ति कठोर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसी शक्ति का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह पता लगाने के लिए कि कार्रवाई का कारण मौजूद है या नहीं, वादी में दिए गए कथनों को उनकी संपूर्णता में पढ़ना आवश्यक है, न कि टुकड़ों में। इसलिए, श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है।

8. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यदि वादी में दिए गए कथनों को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 40 , 42 , 43 , 44 और 48 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए। (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और 6 दिसंबर 1943 के पार्टनरशिप डीड में खंडों के साथ पढ़ा जाए, तो पता चलता है कि कोई भी राहत, जैसा कि वादी ने दावा किया है, नहीं दी जा सकती है । उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 40 के अनुसार , एक फर्म को केवल सभी भागीदारों की सहमति से या भागीदारों के बीच अनुबंध के अनुसार ही भंग किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, हालांकि उक्त अधिनियम की धारा 42 के तहत, एक भागीदार की मृत्यु पर एक फर्म को भंग किया जा सकता है, हालांकि, यह भागीदारों के बीच एक अनुबंध के अधीन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि, 6 दिसंबर 1943 के पार्टनरशिप डीड के खंड 4 के अवलोकन से पता चलता है कि यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि किसी भी भागीदार की मृत्यु पर, साझेदारी स्वचालित रूप से भंग नहीं होगी। इस प्रकार, उस संबंध में प्रस्तुतीकरण निराधार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 44 में प्रावधान है कि फर्म का विघटन उसमें निर्दिष्ट आधार पर ही कायम रखा जा सकता है, यदि मुकदमा भागीदारों के अनुरोध पर हो। उन्होंने प्रस्तुत किया कि माना कि वादी भागीदार नहीं थे, और इस प्रकार, उनके कहने पर मुकदमा मान्य नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील अपनी दलील के समर्थन में टी. अरिवंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल और अन्य2 और पर्लाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड बनाम मनोरमा सिरसी3 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हैं , कि यदि राहत मांगी गई है वादपत्र में, मंजूर नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प वादपत्र को अस्वीकार करना है।

9. श्री विश्वनाथन और श्री गोपाल शंकरनारायणन, प्रतिवादी पक्ष 2, 3, 7 से 9, 11, 12 और 16 से 21 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी इसी तरह की दलीलें दीं।

10. उक्त अधिनियम की धारा 40 , 42 , 43 और 44 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा :
"40. समझौते द्वारा विघटन - किसी फर्म को सभी साझेदारों की सहमति से या साझेदारों के बीच अनुबंध के अनुसार भंग किया जा सकता है।
41. .....
42. कुछ आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन - भागीदारों के बीच अनुबंध के अधीन एक फर्म को भंग कर दिया जाता है -
(ए) यदि एक निश्चित अवधि के लिए गठित किया गया है, तो अवधि की समाप्ति तक;
(बी) यदि एक या अधिक साहसिक कार्यों या उपक्रमों को पूरा करने के लिए गठित किया गया है, तो उसके पूरा होने तक;
(सी) किसी साथी की मृत्यु से; और
(डी) किसी भागीदार को दिवालिया घोषित किए जाने से।

43. इच्छानुसार भागीदारी के नोटिस द्वारा विघटन-जहां साझेदारी इच्छानुसार है, वहां किसी भी भागीदार द्वारा फर्म को भंग करने के अपने इरादे के बारे में अन्य सभी भागीदारों को लिखित रूप में नोटिस देकर फर्म को भंग किया जा सकता है।
(2) फर्म को नोटिस में उल्लिखित तिथि से विघटन की तारीख के रूप में भंग कर दिया जाता है, या यदि कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है, तो नोटिस के संचार की तारीख से।

44. न्यायालय द्वारा विघटन - किसी भागीदार के मुकदमे में, न्यायालय निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी फर्मको भंग कर सकता है, अर्थात्: -
(ए) कि एक साथी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, ऐसी स्थिति में उस साथी के अगले मित्र द्वारा भी मुकदमा दायर किया जा सकता है जो किसी अन्य साथी की तरह ही विक्षिप्त मस्तिष्क का हो गया है;
(बी) मुकदमा करने वाले भागीदार के अलावा कोई भागीदार, भागीदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी भी तरह से स्थायी रूप से असमर्थ हो गया है;
(सी) कि मुकदमा करने वाले भागीदार के अलावा कोई भी भागीदार, ऐसे आचरण का दोषी है जिससे व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, व्यापार के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(डी) मुकदमा करने वाले भागीदार के अलावा कोई भागीदार, जानबूझकर या लगातार फर्म के मामलों के प्रबंधन या उसके व्यवसाय के संचालन से संबंधित समझौतों का उल्लंघन करता है, या अन्यथा व्यवसाय से संबंधित मामलों में ऐसा व्यवहार करता है कि वह अन्य साझेदारों के लिए उसके साथ साझेदारी में व्यवसाय चलाना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है;
(ई) मुकदमा करने वाले भागीदार के अलावा किसी अन्य भागीदार ने, किसी भी तरह से फर्म में अपना पूरा हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया है, या अपने हिस्से को आदेश XXI के नियम 49 के प्रावधानों के तहत वसूलने की अनुमति दी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची, या इसे भू-राजस्व के बकाया या भागीदार द्वारा देय भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी भी बकाया की वसूली में बेचने की अनुमति दी है;
(एफ) कि फर्म का व्यवसाय बिना घाटे के नहीं चलाया जा सकता; या
(छ) किसी अन्य आधार पर जो इसे उचित और न्यायसंगत बनाता है कि फर्म को भंग कर दिया जाना चाहिए।

11. 6 दिसंबर 1943 के साझेदारी विलेख के खंड 4, 6 और 7 का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा:
"4. किसी भी साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी स्वतः समाप्त नहीं होगी बल्कि जीवित साझेदार आपसी सहमति से मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को साझेदारी में शामिल कर सकते हैं।
5. .....
6. साझेदारी की निरंतरता के दौरान किसी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के मामले में, साझेदारी केवल उस वर्ष की लेखांकन अवधि के अंत तक अस्तित्व में मानी जाएगी जिसके दौरान मृत्यु या सेवानिवृत्ति होती है और मृत साझेदार की संपत्ति या सेवानिवृत्त साझेदार, जैसा भी मामला हो, लेखांकन अवधि के अंत तक साझेदारी के सभी लाभ और हानि प्राप्त करने और उसके लिए जिम्मेदार होने का हकदार होगा।
7. यह अनुबंधपत्र इस बात का भी साक्ष्य देता है कि उक्त पक्ष इसके द्वारा परस्पर अनुबंध करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि वे उक्त अनुबंध दिनांक के पहले दिन के प्रावधानों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार विघटन तक साझेदारी में उक्त व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। सितंबर, 1938 अब तक क्रमशः विद्यमान हैं और लेने में सक्षम हैं और यहां प्रदर्शित होने से पहले बदली हुई परिस्थितियों पर लागू होते हैं और उक्त साझेदारी के संबंध में कोई भी विवाद भारतीय मध्यस्थता के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा और उसके लिए उद्देश्य प्रत्येक विवादित पक्ष एक मध्यस्थ को नामांकित कर सकता है बशर्ते। हालाँकि, कोई भी पक्ष किसी भी समय साझेदारी के विघटन के लिए या साझेदारी पर

रिसीवर की नियुक्ति के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने का हकदार नहीं होगा या इसकी संपत्ति का कोई भी हिस्सा।"

12. वादपत्र के अवलोकन से यह पता चलता है कि वादी का मामला यह है कि साझेदारी फर्म के तीन मूल साझेदारों की मृत्यु के बावजूद, जिनके माध्यम से वादी दावा कर रहे थे, प्रतिवादी व्यवसाय चला रहे हैं साझेदारी फर्म का. उनका मामला यह है कि साझेदारी फर्म के खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और साझेदारी फर्म के मुनाफे का हिस्सा उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। वादी का मामला यह भी है कि प्रतिवादी वादी को छोड़कर साझेदारी फर्म का प्रतिनिधित्व करने की मांग कर रहे हैं और प्रतिवादी साझेदारी फर्म के धन की हेराफेरी कर रहे हैं। यह उनका मामला है कि वे प्रतिवादियों के साथ साझेदारी फर्म के मूल भागीदारों के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में साझेदारी फर्म की संपत्ति और संपत्तियों के हकदार हैं, जिसे 6 दिसंबर 1943 के पार्टनरशिप डीड के तहत पुनर्गठित किया गया था।

13. इसमें कोई संदेह नहीं है कि, वादी की ओर से यह सही तर्क दिया गया है कि, केवल वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कार्रवाई का कारण बनता है या नहीं । यह भी उतना ही सच है कि इसका पता लगाने के लिए, वादी की पूरी दलीलों को पढ़ना होगा और वह भी उनके अंकित मूल्य पर। इस स्तर पर, प्रतिवादियों द्वारा किए गए बचाव पर गौर नहीं किया जा सकता है।

14. हम टी. अरिवंदंदम बनाम टीवी सत्यपाल और अन्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का लाभपूर्वक उल्लेख कर सकते हैं :
“5. हमें अदालत की प्रक्रिया के बार-बार और बेपरवाह तरीके से किए गए घोर दुरुपयोग के लिए याचिकाकर्ता की निंदा करने में थोड़ी भी झिझक नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले में पाए गए तथ्यों के बयान से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह मुकदमा अब फर्स्ट मुंसिफ कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष लंबित है, जो वादपत्र प्राप्त करने में कानून की दया का घोर दुरुपयोग है। विद्वान मुंसिफ को याद रखना चाहिए कि यदि वादपत्र का अर्थपूर्ण - औपचारिक नहीं - पढ़ना स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और योग्यताहीन है, तो मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा न करने के अर्थ में, उसे आदेश 7, नियम 11 सीपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो। और, यदि चतुर प्रारूपण ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो आदेश 10, सीपीसी के तहत पार्टी की खोज करके पहली सुनवाई में इसे खत्म कर दें। एक सक्रिय न्यायाधीश गैरजिम्मेदाराना कानूनी मुकदमों का उत्तर होता है। निचली अदालतें पहली सुनवाई में पक्ष की जांच करने पर अनिवार्य रूप से जोर देंगी

ताकि फर्जी मुकदमेबाजी को शुरुआती चरण में ही खत्म किया जा सके। दंड संहिता भी ऐसे लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त साधन संपन्न है, (सीआर XI) और उनके खिलाफ
कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में, विद्वान न्यायाधीश को अपनी लागत का एहसास हुआ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने महात्मा गांधी की हत्या पर क्या टिप्पणी की थी:
"बहुत अच्छा होना खतरनाक है।" [जोर दिया गया]

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि वादपत्र में दिए गए कथनों को पढ़ना न केवल औपचारिक होना चाहिए बल्कि अर्थपूर्ण भी होना चाहिए। यह माना गया है कि यदि चतुर प्रारूपण ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, और उसके सार्थक पढ़ने से पता चलेगा कि दलीलें स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और योग्यताहीन हैं, मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में, तो अदालत को चाहिए सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करें। यह माना गया है कि इस तरह के मुकदमे को पहली सुनवाई में ही ख़त्म कर देना चाहिए।

16. पर्लाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा:
“10. सवाल यह उठता है कि क्या पहले से बताए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में वादी को ऐसी राहतें दी जा सकती हैं। जब तक सेवा के अनुबंध में इसके विपरीत कोई शर्त न हो, स्थानांतरण आदेश सेवा की एक सामान्य घटना है। इसके अलावा, यह विचार किया जाना चाहिए कि यदि वादी स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करता है, तो अंततः सेवा समाप्ति हो सकती है। इसलिए, यह घोषणा कि स्थानांतरण आदेश अवैध और शून्य है, वास्तव में इस तथ्य के बावजूद कि वादी कथित तौर पर प्रतिवादी कंपनी के प्रबंधन में अपने वरिष्ठों के आदेश का पालन नहीं करता है, वादी को प्रतिवादी पर थोपने के समान है। ऐसी राहत नहीं दी जा सकती. वादपत्र में मांगी गई अगली राहत इस घोषणा के लिए है कि वह प्रतिवादी कंपनी की सेवा में बनी रहेगी। ऐसी घोषणा फिर से व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को लागू करने के समान है जो कानून के तहत वर्जित है। वादी द्वारा मांगी गई तीसरी राहत प्रतिवादी को उसके खिलाफ जांच करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा है। यदि प्रबंधन को लगता है कि वादी उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे उसके खिलाफ जांच करने का निर्णय लेने का अधिकार है। प्रबंधन को इस संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता। अंततः, यदि यह राहत दी जाती है, तो इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह होगा कि अदालत वादी को प्रतिवादी कंपनी के साथ उसके रोजगार को जारी रखने में सहायता कर रही है, जो व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को लागू करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार, वाद में

मांगी गई कोई भी राहत कानून के तहत वादी को नहीं दी जा सकती है। फिर सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के मुकदमे को जारी रखने और सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारे विचार में उत्तर स्पष्ट है, अर्थात् ऐसे सूट को दहलीज पर ही फेंक देना चाहिए। जिस मुकदमे के लिए प्रार्थना की गई राहत देने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण इसे खारिज किया जाना तय है, उस पर मुकदमा क्यों चलाया जाना चाहिए? तदनुसार, हम मानते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने वाद को खारिज करने में बिल्कुल सही किया था और निचली अपीलीय अदालत ने इस संबंध में ट्रायल कोर्ट के फैसले की सही पुष्टि की थी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी, जिसके तहत मुकदमा बहाल कर दिया गया था और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया था। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाता है और निचली अदालतों, यानी ट्रायल कोर्ट और निचली अपीलीय अदालत के फैसलों को बहाल किया जाता है। मुकदमे में शिकायत खारिज कर दी गई है।" [जोर दिया गया

17. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अदालत को यह पता लगाना होगा कि क्या तथ्यों की पृष्ठभूमि में, वादी को राहत दी जा सकती है, जैसा कि वादपत्र में दावा किया गया है। यह माना गया है कि यदि अदालत को पता चलता है कि मुकदमे में मांगी गई कोई भी राहत कानून के तहत वादी को नहीं दी जा सकती है, तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे मुकदमे को जारी रखने और सुनवाई के लिए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस न्यायालय ने उक्त प्रश्न का उत्तर यह देते हुए दिया कि इस तरह के मुकदमे को दहलीज पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय ने मुकदमे को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिससे ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि हुई। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के समवर्ती आदेशों को रद्द कर दिया था और मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था।

18. इसलिए, जिस प्रश्न पर विचार करना होगा वह यह है कि क्या वादी द्वारा वादपत्र में दावा की गई राहत दी जा सकती है या नहीं। हम उस अभ्यास को करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है कि क्या पार्टनरशिप डीड में पूर्वोक्त खंडों के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने पर राहत मिलेगी, जैसा कि दावा किया गया है। वाद स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार है:

“(31) आइए हम एक-एक करके प्रार्थनाएँ करें। पहली प्रार्थना यह घोषणा करने के लिए है कि वादी और प्रतिवादी मूल साझेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उक्त फर्म की संपत्तियों और संपत्तियों के हकदार हैं। यह सामान्य कानून है कि किसी फर्म के साझेदार केवल फर्म के मुनाफे के हकदार होते हैं और फर्म के विघटन पर वे फर्म की परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री आय के अधिशेष, साझेदारी विलेख में सहमत शेयर में फर्म की देनदारियां यदि कोई हो, को पूरा करने के हकदार होते हैं। जब तक फर्म व्यवसाय कर रही है तब तक साझेदारों के पास किसी फर्म की परिसंपत्तियों और संपत्तियों के संबंध में कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है। इसलिए, कुछ मूल साझेदारों के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में वादी उक्त फर्म की संपत्ति और संपत्तियों के संबंध में कोई दावा नहीं कर सकते हैं। उक्त फर्म की परिसंपत्तियों और संपत्तियों के सह-स्वामित्व की घोषणा के लिए उनकी प्रार्थना कानून में स्वीकार्य नहीं है।

वादपत्र में दूसरी प्रार्थना यह घोषणा करने के लिए है कि वादी और प्रतिवादी, बिहार राज्य के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उसकी भागलपुर भूमि के अधिग्रहण के लिए सभी कार्यवाहियों में फर्म का प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं। इस प्रार्थना की रूपरेखा से पता चलता है कि यह वादी द्वारा दावा की गई एक परिणामी राहत है जिसे केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब पहली प्रार्थना की अनुमति दी गई हो। चूंकि, हमारी राय में, वादी की प्रार्थना (ए) को कानून, प्रार्थना में मंजूरी नहीं दी जा सकती है(बी) भी नहीं दी जा सकती. प्रार्थना (सी) भी एक परिणामी राहत है. केवल यदि वादी प्रार्थना (ए) का दावा करने के हकदार थे, तो वे प्रार्थना (सी) का दावा कर सकते थे। हम इस पर नहीं हैं कि वादी प्रार्थना (ए) प्राप्त करने में सफल होंगे या नहीं। हमारे अनुसार, वादी ऊपर बताई गई पहली राहत के लिए प्रार्थना करने के भी हकदार नहीं हैं क्योंकि देश के कानून के तहत यह राहत नहीं दी जा सकती है। नतीजतन, प्रार्थना (सी) भी मंजूर नहीं की जा सकती। प्रार्थनाएँ (डी) और (ई) दोनों फर्म के विघटन से संबंधित हैं। प्रार्थना (ई) फर्म के विघटन की डिक्री और उसके कामकाज को बंद करने के लिए है। प्रार्थना (डी) फर्म के विघटन के उद्देश्य से उसके पूर्ण खातों के लिए है (जोर हमारा है)। हालाँकि, यह स्थापित कानून है कि केवल किसी फर्म के भागीदार ही फर्म के विघटन की मांग कर सकते हैं। माना कि, वादी उक्त फर्म के भागीदार नहीं हैं। साझेदारी अधिनियम के धारा 39 में प्रावधान है कि किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी के विघटन को 'फर्म का विघटन' कहा जाता है। धारा 40 में प्रावधान है कि एक फर्म को सभी साझेदारों की सहमति से या साझेदारों के बीच अनुबंध के अनुसार भंग किया जा सकता है। धारा 41 किसी फर्म के अनिवार्य विघटन का प्रावधान करता है। धारा 42 में कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं के घटित होने से एक फर्म का विघटन हो जाएगा, लेकिन यह भागीदारों के बीच अनुबंध के अधीन है। साझेदारी को किसी भी भागीदार द्वारा फर्म को भंग करने के अपने इरादे के बारे में अन्य भागीदारों को लिखित रूप में नोटिस देकर भंग किया जा सकता है, जैसा कि धारा में प्रदान किया गया

है। अधिनियम के धारा 43 और 44 न्यायालय को किसी भागीदार के मुकदमे में उल्लिखित आधार पर एक फर्म को भंग करने का अधिकार देता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि केवल फर्म का भागीदार ही फर्म के विघटन की मांग कर सकता है। किसी गैर भागीदार के कहने पर अदालत द्वारा किसी फर्म के विघटन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, वादी उक्त फर्म के विघटन का दावा करने के हकदार नहीं हैं। नतीजतन, वे फर्म के विघटन के उद्देश्य से खातों के लिए प्रार्थना करने के भी हकदार नहीं हैं।

(32) न्यायालय को क्या करना चाहिए यदि उसे पता चलता है कि वादपत्र में दिए गए कथनों को अंकित मूल्य पर लेने पर भी वादपत्र में दावा की गई राहतों में से एक भी नहीं दी जा सकती है? क्या न्यायालय को पक्षों को सुनवाई के लिए भेजना चाहिए? हमें नहीं लगता. यह व्यर्थ का अभ्यास होगा. यह वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी होगी और साथ ही अदालत के समय की अनावश्यक खपत होगी। प्रतिवादियों को भारी खर्च पर मुकदमे की सुनवाई की आम तौर पर लंबी चलने वाली प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करना उचित नहीं होगा, डैमोकल्स की तलवार की तरह किसी के सिर पर लटके मुकदमे के कारण होने वाली चिंता और मन की अशांति के बारे में तो बात ही मत कीजिए। मुकदमे को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि तय की गई प्रार्थनाओं को वादी में दलीलों के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है। वादीगण ने वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति की प्रार्थना नहीं की है। जब केवल वादपत्र को पढ़कर और वादपत्र में दिए गए कथनों को सही मानकर अदालत का यह मानना हो कि दावा की गई कोई भी राहत कानून में नहीं दी जा सकती क्योंकि वादी ऐसी राहतों का दावा करने के हकदार नहीं हैं, तो न्यायालय को इसे खारिज कर देना चाहिए। वादी में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है। वादपत्र में दावा की गई राहतें वादपत्र में प्रस्तुत कार्रवाई के कारण की परिणति हैं। कार्रवाई का कारण प्रस्तुत किया गया और वाद-पत्र में की गई प्रार्थनाएँ एक-दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान मामले में, कार्रवाई का कारण प्रस्तुत किया गया और दावा की गई राहत देश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे मुक़दमे को सुनवाई के लिए जीवित नहीं रखा जाना चाहिए..."

19. हम उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं। जहां तक दहिबेन (सुप्रा) के मामले में श्री जैन द्वारा इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता का सवाल है, जिसमें हम में से एक (एल. नागेश्वर राव, जे.) सदस्य थे, हमारे विचार में, उक्त यह निर्णय वादी के मामले का समर्थन करने के बजाय, प्रतिवादियों के मामले का समर्थन करेगा।

दाहिबेन (सुप्रा) के मामले में पैराग्राफ 23.3, 23.4, 23.5 और 23.6 इस प्रकार पढ़ें:
“23.3. आदेश 7 नियम 11(ए) का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि यदि किसी मुकदमे में, कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है, या नियम 11(डी) के तहत मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है, तो अदालत वादी को अनावश्यक रूप से मामले को लंबा खींचने की अनुमति नहीं देगी। ऐसे में दिखावटी मुकदमेबाजी पर रोक लगाना जरूरी होगा, ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो.

23.4. अज़हर हुसैन बनाम राजीव गांधी में [अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी, 1986 सप्प एससीसी 315। मानवेंद्रसिंहजी रंजीतसिंहजी जाडेजा बनाम विजयकुंवरबा, 1998 एससीसी OnLineGuj281: (1998) 2 जीएलएच 823], इस न्यायालय ने माना कि इस प्रावधान के तहत शक्तियां प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो निरर्थक है, और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे अदालत के न्यायिक समय को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए , निम्नलिखित शब्दों में :
(एससीसी पृष्ठ 324, पैरा 12) “12. ... ऐसी शक्तियां प्रदान करने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मुकदमा जो अर्थहीन है, और निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, उसे अदालत के समय पर कब्जा करने और प्रतिवादी के दिमाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डैमोकल्स की तलवार को बिना मतलब या उद्देश्य के अनावश्यक रूप से उसके सिर पर लटकाए रखने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि एक सामान्य नागरिक मुकदमे में भी, अदालत तुरंत किसी वाद को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग करती है, यदि वह कार्रवाई के किसी कारण का खुलासा नहीं करती है।" 23.5. हालाँकि, किसी नागरिक कार्रवाई को समाप्त करने के लिए न्यायालय को दी गई शक्ति कठोर है और आदेश 7 नियम 11 में बताई गई शर्तों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

23.6. आदेश 7 नियम 11 के तहत, अदालत पर यह निर्धारित करने का कर्तव्य है कि वादी [लिवरपूल और लंदन एसपी और आई एसोसिएशन] में दिए गए कथनों की जांच करके कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या नहीं। लिमिटेड बनाम एमवी सी सक्सेस I , (2004) 9 एससीसी 512], जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनके साथ संयोजन में पढ़ें, या क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है।”

20. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए न्यायालय को प्रदत्त शक्ति कठोर है, और सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत बताई गई शर्तों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। हालाँकि, सीपीसी के

आदेश VII नियम 11 के तहत, यह निर्धारित करने का कर्तव्य अदालत पर डाला गया है कि क्या वादपत्र में दिए गए कथनों की जांच करके, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनके साथ पढ़कर, या क्या मुकदमा कार्रवाई का कारण बताता है किसी भी कानून द्वारा वर्जित. इस न्यायालय ने माना है कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि जब कोई वादपत्र कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो न्यायालय वादी को अनावश्यक रूप से कार्यवाही को लंबा करने की अनुमति नहीं देगा। यह माना गया है कि ऐसे मामले में, दिखावटी मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो।

21. हम कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के साथ सहमत हैं, जिसने वादपत्र में दिए गए कथनों, उसमें दावा की गई राहतों, उक्त अधिनियम के प्रावधानों और पार्टनरशिप डीड की धाराओं की विस्तृत जांच की। निष्कर्ष यह है कि वादपत्र में जो राहत मांगी गई है, वह नहीं दी जा सकती।

22. अपीलें निराधार पाई गईं, इसलिए खारिज की जाती हैं। लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा। कोई लागत नहीं.

जे.एल. नागेश्वर राव
जे.बीआर गवई
नई दिल्ली
सितम्बर 21, 2021